

29/7/26

संख्या: 416515 /III(2)/2026-ई0-63945/2023

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 जुलाई, 2026

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न 05 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार ई-डीपीआर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 05 आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की कुल लं० 17.500 किमी० एवं लागत ₹ 28.86 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त मंस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि ₹ 28.86/- (₹ अट्ठाईस लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हूँ, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक कार्य व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 05 कार्यों हेतु ₹ 50,000/- हजार (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०)	लागत (लाख ₹ में)	अवमुक्त धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत गोबुद्धीना भिटरकोट मोटर मार्ग से खानकी तल्ला सिगाड से मल्ला सिगाड मंदिर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) Project Id 8625	3.000	4.94	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कोरीद्धीना गणखिला से होने हूँ मल्ला सिगाड गोविन्दपुर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) Project Id 2778	3.000	4.95	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत काकडीघाट शीतलाखेत मोटर मार्ग से रियुणिया गडग्यारी मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण) Project ID 9081	3.000	4.94	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत बडगाल गौतला से कुल्लू	3.500	5.78	0.10



4	सौंज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)Project Id 10592			
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अन्मोडा के विश्रान मभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत वडगल रौतेला में वडगल भट्ट तन्ला खोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)Project Id 10073	5.000	8.25	0.10
योग		17.500	28.86	0.50

(रू० पचास हजार मात्र)

2. उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/ 2023, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- शा०म० 383/III/(1)/19-190(पी०डब्लू०डी०)०१टीसी० - 1 1 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
- कार्य संख्या 1 व 5 के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विषयगत मार्ग के पी०एम०जी०एस०वाई०-4 में प्रस्तावित न होने की पुष्टि कर ली जाय।
- कार्य संख्या 2 के सम्बन्ध में सर्वेक्षण से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता मार्ग की उपयोगिता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लें।
- कार्य कराने से पूर्व मार्ग को PMGSY-IV में निर्मित किये जा सकने के संबंध में भी परीक्षण कर लिया जाय। यदि मार्ग PMGSY-IV के अन्तर्गत निर्मित किया जा सकता हो तो इसको राज्य सेक्टर की स्वीकृति से निर्मित न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे आगणनों के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की महमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने समय पालन



- करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- xiii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- xiv. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- xv. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु विन्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्च्योरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xvi. वर्तमान में व्यय हेतु अवसूक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू विन्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xvii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करने समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xviii. विषयगत कार्य हेतु विन्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, विन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/ 2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अर्नाटमेन्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xix. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एम0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संग्रहित रखी जाए।
- 2 - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान विन्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाधीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पुंजीगत परियोजना 04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-53 बृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 में स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
- 3 - ये आदेश विन अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- 1/414989/2026 दिनांक 21 जुलाई, 2026 में प्रदत्त महमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 24-07-2026
16:01:24

भवदीय,
(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1/416515/2026
अनुदान संख्या 022

आवंटन आई डी S260/0220058
आवंटन पत्र दिनांक 27 JUL 2026

लेखा शीर्षक: 5054 सड़क तथा सेतुओं पर मौजूदा परियोजना
337 सड़क निर्माण कार्य
02 नये निर्माण कार्य

04 जिला तथा अन्य सड़क
03 राज्य सड़क

Voted:

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53 बृहद निर्माण				2540000		50000		0		2590000		
योग				2540000		50000		0		2590000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: plhodpwduk@gmail.com

पत्रांक-918 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-1 अगस्त,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अनुज्ञा।
- अधीक्षण अभियन्ता, LEPD वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अनुज्ञा।
- अधिशाली अभियन्ता, PD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अनुज्ञा।
- आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
अनुज्ञा

